न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 444 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2010 / 00136

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 परखाराम पुत्र गजाराम कौम–कलबी, निवासी–रघुनाथपुरा (बावरला), तहसील–सांचौर, जिला–जालोर		1 राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर 2 सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग सांचौर

दावा बाबत् खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 07.05.2010

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 13.01.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा बावरला, पटवार क्षेत्र–बावरला में मुझ वादी के पुश्तैनी हकहकूक का खेत खसरा नंबर 746 / 1309, 751 / 1310, 752 कुल रकबा 8.73 हैक्टेयर का आया हुआ है। इसी अनुसार सरहद मौजा रघुनाथपुरा, पटवार क्षेत्र–बावरला में खेत खसरा नंबर 537, 690 जुमले रकबा 4.98 हैक्टेयर का आया हुआ है। इसी अनुसार मौजा रघुनाथपुरा, पटवार क्षेत्र बावरला में मुझ वादी की मालिकाना हकहकूक की पुश्तैनी भूमि खसरा नंबर 643 रकबा 0.36 हैक्टेयर आयी हुई है। जिसका लगान मैं वादी उक्त जागिरी से आज दिन तक अदा करता आ रहा हूं तथा गिरदावरी भी मुझ वादी के नाम होती आ रही है। वादग्रस्त आराजी के प्रथम सेटलमेंट के दौरान पुरानें खसरा नंबर 353, 265, 325, 385 जुमले रकबा 87 बीघा 13 बिस्वा भूमि मुझ वादी के पिता गजा के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई, जो सलंग्न जमाबंदी संवत 2033 से 2036 से स्पष्ट है। उक्त पुराने खसरो से वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित [illegible] का सृजन द्वितीय सेटलमेंट के दौरान हुआ। पुराने खसरा संख्या 353 व 325 में से रकबा [illegible] 6 बिस्वा भूमि मुझ वादी को बिना किसी सुनवाई के अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या 2 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज की गई, जो सरासर अवैध व गैर कानू[illegible]तरीके से दर्ज की गई। उक्त वादग्रस्त आराजी मुझ वादी की मालिकाना हकहकूक व कब्जाकाश्त की पुश्तैनी आराजी है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर मुझ वादी का पीढ़ियों से सहज, शांतिपूर्ण, निर्बाध रूप से वंशानुगत कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा बदस्तूर है लेकिन उसके बावजूद भी मुझ वादी को अपने हकहकूकों से वंचित करने के लिए राजस्व ऐजेन्सी ने मिलावट कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:01:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक ... क मजिस्ट्रेट ... सांचौर

गैर कानूनी तरीके से मुझ वादी की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करते वक्त मुझ वादी को किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की न ही मुझ वादी से कोई विधिवत अधिग्रहण की कार्यवाही कर कोई सुनवाई की। बिना किसी सुनवाई के मुझ वादी की मालिकाना हकहकूक व कब्जाकाश्त की भूमि अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी, जो विधि के सिद्धान्तों के विपरित दर्ज की है। वादग्रस्त आराजी मुझ वादी की मालिकाना हकहकूक, पुश्तैनी भूमि आई हुई है। जिस पर मेरी आज भी रहवासीय ढ़ाणी बनी हुई है व सपरिवार निवास करता आ रहा हूं। इस प्रकार उक्त आराजी का राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम गलत इन्द्राज करनें से मैं वादी पुनः अपने नाम इन्द्राज करवानें का हकदार होने से यह दावा हाजा श्रीमान की सेवा में पेश है। मौके पर प्रतिवादी संख्या 2 कोई कब्जा या सड़क नहीं हैं आज से दस पन्द्रह दिन पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी मौके पर आये तथा ऐलानियां धमकियां दी कि वादग्रस्त आराजी से कब्जा खाली कर देना, अन्यथा आपको जबरन बेदखल कर देंगे जबकि मुझ वादी के पुश्तैनी मालिकाना हकहकूक की भूमि से प्रतिवादी को बेदखल करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने से उन्हें रोकने हेतु दावा हाजा स्थाई निषेधाज्ञा एवं खातेदारी घोषणा का सादर पेश है।

उक्त वाद दिनांक 07.05.2010 को दर्ज रजिस्टर किया जकार प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 राज्य सरकार जरिये राज पैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित आये तथा जवाब पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा रघुनाथपुरा पटवार मण्डल बावरला में खसरा नंबर 643 रकबा 0.36 हैक्टेयर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से आया हुआ है जो खातदेार गजा वल्द डावर कौम–कलबी साकिन बावरला की खातेदारी भूमि के पुराने खसरा नंबर 325 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा से सृजित हुआ है जिसका नियमानुसार आवाप्ति बाद खातेदार गजा वल्द डावर कौम–कलबी साकिन बावरला की खातेदारी में से नामान्तरकरण संख्या 134 के नियमानुसार स्वीकृति बाद कम की जाकर सार्वजकिन निर्माण विभाग के नाम से दर्ज की गई। नामान्तरकरण संख्या 134 व जमाबंदी संवत 2034 से 2037 की प्रतिलिपि सलंग्न है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य छुपाते हुए वाद दायर कर वर्णित आराजी मौजा रघुनाथपुरा पटवार मण्डल बावरला के खसरा नंबर 643 रकबा 0.36 हैक्टेयर पर अपना हक दावा लगाया है जो सरासर [illegible] तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिल खारिज है। अतः प्रकरण में प्रतिउत्तर पेश कर नि[illegible] है कि [illegible] का वाद गलत, मनगंढत तथ्यों पर होने से काबिल खारिज [illegible] फरमावें तथा प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:01:52 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत वाद में उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार तकनीयात कायम की गई :–

सहायक कले[illegible] [illegible] मजिस्ट्रेट
([illegible]) सांचौर

1. आया मौजा रघुनाथपुरा के खेत खसरा संख्या 643 रकबा 0.36 हैक्टेयर वादी की पुश्तैनी हकहकूक व कब्जा काश्त की होने से वादी खातेदारी पाने का हकदार है। (जिम्मे वादी)

2. आया वाद के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी पर वादी का काश्त कब्जा होने से वादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का हकदार है। (जिम्मे वादी)

3. आया प्रतिवादी संख्या 2 के नाम अवैध व गैर कानुनी तरीके से इन्द्राज होने से वादी ऐसे इन्द्राज को अपास्त पाने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)

4. आया खसरा संख्या 643 रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक विभाग के नाम पुराने खसरा संख्या 325 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा से सृजित होने से जिसका नियमानुसार अवाप्ति के बाद गजा वल्द डावर की खातेदारी में से नामान्तरकरण संख्या 134 की स्वीकृति के बाद स्वीकृत होने से वादी का वाद काबिल खारिज है। (जिम्मे प्रतिवादी)

इस संबंध में वादी परखाराम पुत्र गजाराम ने पीडब्ल्यू–1 न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ बयान देकर बताया कि सहरद मौजा बावरला पटवार हल्का बावरला तहसील सांचौर में मुझ वादी के पुश्तैनी हक हकूक का खेत खसरा नंबर 746/1309, 751/1310, 752 रकबा 8.73 हैक्टेयर का आया हुआ है इसी अनुसार सरहद मौजा रघुनाथपुरा पटवार हल्का बावरला में खेत खसरा नंबर 537, 690 जुमले रकबा 4.98 हैक्टेयर का आया हुआ है। इसी अनुसार मौजा रघुनाथपुरा पटवार हल्का बावरला में मुझ वादी की मालिकाना हक हकूक की पुश्तैनी खसरा नंबर 643 रकबा 0.36 हैक्टेयर की आयी हुई है। जिसका लगान मै वादी वक्त जागीरी से आज दिन तक अदा करता आ रहा हूं तथा गिरदावरी भी मुझ वादी के नाम से होती आ रही है। वादग्रस्त आराजी के प्रथम सेटलमेंट के दौरान पुराने खसरा नंबर 353, 265, 325, 385 कुल रकबा 87 बीघा 13 बिस्वा भूमि मुझ वादी के पिता गजा के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई है जो जमाबंदी संवत् 2023–2036 से एवं वर्तमान जमाबंदी से स्पष्ट है। उक्त पुराने खसरों से वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित नवीन खसरों का सृजन द्वितीय सेटलमेंट के दौरान हुआ है। पुराने खसरा संख्या 353 व 325 में से रकबा 03 बीघा 6 बिस्वा भूमि मुझ वादी को बिना किसी सुनवाई के अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या 2 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज की गई जो सरासर अवैध व गैर कानूनी तरीके से दर्ज की गई है। उक्त वादग्रस्त आरा[illegible] शांतिपूर्ण, निर्बाध रूप से वंशानुगत कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा [illegible] किन उसके बावजूद भी मुझ वादी को अपने हक हकूकों से वं[illegible] मिलावट कर गैर कानूनी तरीके से मुझ वादी की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी है। उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करने का ग्राम पंचायत को कोई कानुनी अधिकार नहीं था। उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत बावरला ने अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया, जो अवैध व गैर कानुनी है। ऐसे अवैध व गैर कानूनी नामान्तरकरण को जरिये जो प्रतिवादी संख्या 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:01:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं [illegible] मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

नाम खातेदारी इन्द्राज अवैध रूप से दर्ज हुए है। ऐसे इन्द्राज अपास्तनीय योग्य है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करते वक्त मुझ वादी को किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की, तथा न ही मुझ वादी से कोई विधिवत अधिग्रहण की कार्यवाही कर कोई सुनवाई की बिना किसी सुनवाई के मुझ वादी की मालिकाना हक हकूक व कब्जाकाश्त की भूमि अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज करते वक्त मुझ वादी को किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की तथा न ही मुझ वादी से कोई विधिवत अधिग्रहण की कार्यवाही कर कोई सुनवाई की, बिना किसी सुनवाई के मुझ वादी की मालिकाना हक हकूक व कब्जाकाश्त की भूमि अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से दर्ज कर दी, जो विधि के सिद्वान्तों के विपरित दर्ज की है। वादग्रस्त आराजी मूझ वादी की मालिकाना हकहकूक व पुश्तैनी भूमि होने से मुझ वादी की रहवासी ढ़ाणी बनी हुई है व सपरिवार निवास करता आ रहा हूं। इस प्रकार उक्त आराजी का राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम गलत इन्द्राज करने से मैं वादी पुन अपने नाम इन्द्राज करवाने का हकदार होने से दावा पेश किया है। दावा पेश करने से 10–15 दिन पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिनस्थ कर्मचारी मौके पर आये तथा मुझ वादी को एलानियां धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी से कब्जा खाली कर देना अन्यथा आपको जबरन बेदखल कर देंगे, जबकि मुझ वादी के पुश्तैनी मालिकाना हकहकूक की भूमि में प्रतिवादी को बेदखल करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं होने से उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से रोका जावें। विनायवाद सर्वप्रथम उस समय पैदा हुआ कि मुझ वादी के द्वारा दावा पेश करने से पूर्व दिनांक 25.03.2010 को मैं वादी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल मांगी, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त आराजी मुझे बिना सुने, बिना किसी सुनवाई किये अवैध तरीके से आराजी प्रतिवादी संख्या 02 के नाम दर्ज कर दी है। जिस विनाय पर उक्त दावा मैने श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। उक्त के संबंध में जमबांदी संवत् 2065–68 पेश की जो प्रदर्श–1 है, ट्रेस नक्शा प्रदर्श–2 है, जमाबंदी संवत् 2062–2065 जो प्रदर्श–3 है, गिरदावरी संवत् 2062–2065 प्रदर्श–4 है, ट्रैस नक्शा प्रदर्श–5 है, जमाबंदी संवत् 2065–2068 प्रदर्श–6 है, गिरदावरी 2065–2068 प्रदर्श–7 है, जमाबंदी संवत् 2061–2064 प्रदर्श–8 है, जिसमें प्रतिवादी का नाम गलत दर्ज किया है, जमाबंदी संवत् 2042–2045 प्रदर्श–9 है, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–10 है, जमाबंदी सवंत् 2073–2076 प्रदर्श–11 है, ट्रैस नक्शा प्रदर्श–12 है, जिरह प्रतिवादी में बताया कि यह कहना गलत है कि मौके पर मेरा कब्जा न होकर यह कहना गलत है कि मेरे जमीन हड़पने के लिए झूठा दावा पेश किया है प्रकरण में प्रतिवादी ने प्रतिवादी की ओर से शहादत पेश करना नहीं चाहा जिस पर शहादत प्रतिवादी बंद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.03.18 16:01:52 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि पुराने खसरा संख्या 353 व 325 में से रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि मुझ वादी को बिना किसी सुनवाई के अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या 2 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज की गई, जो सरासर अवैध व गैर कानूनी तरीके से दर्ज की गई। उक्त वादग्रस्त आराजी मुझ वादी की मालिकाना हकहकूक व

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रट्रेक) सांचौर

कब्जाकाश्त की पुश्तैनी आराजी है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर मुझ वादी का पीढ़ियों से सहज, शांतिपूर्ण, निर्बाध रूप से वंशानुगत कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा बदस्तूर है लेकिन उसके बावजूद भी मुझ वादी को अपने हकहकूकों से वंचित करने के लिए राजस्व ऐजेन्सी ने मिलावट कर गैर कानूनी तरीके से मुझ वादी की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दी। अतः निवेदन है कि खातेदारी घोषणा एवं स्थाई जारी फरमावें।

प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य छुपाते हुए वाद दायर कर उक्त वर्णित आराजी मौजा रघुनाथपुरा पटवार मण्डल बावरला के खसरा नंबर 643 रकबा 0.36 हैक्टेयर पर अपना हक दावा लगाया है जो सरासर गलत एवं मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिल खारिज है। अतः प्रकरण में प्रतिउतर पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद गलत, मनगंढत तथ्यों पर होने से काबिल खारिज होने से गौर फरमाते हुए वाद खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अध्ययन व अवलोकन किया गया हस्तगत प्रकरण में तनकीयात निम्न प्रकार से निर्णित की जाती हैं

<u>**तनकी संख्या 01**</u> :– उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादी पर होने से इस संबंध में वादी द्वारा जमाबंदी संवत् 2065–2068 पेश की जो प्रदर्श–1 है, ट्रेस नक्शा प्रदर्श–2 है, जमाबंदी संवत् 2062–2065 जो प्रदर्श–3 है, गिरदावरी संवत् 2062–2065 प्रदर्श–4 है, ट्रैस नक्शा प्रदर्श–5 है, जमाबंदी संवत् 2065–2068 प्रदर्श–6 है, गिरदावरी 2065–2068 प्रदर्श–7 है, जमाबंदी संवत् 2061–2064 प्रदर्श–8 है, जिसमें परिवादी का नमा गलत दर्ज किया है, जमाबंदी संवत् 2042–2045 प्रदर्श–9 है, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–10 है, जमाबंदी सवंत् 2073–2076 प्रदर्श–11 है, ट्रैस नक्शा प्रदर्श–12 है इस प्रकार वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है कि जिससे उक्त आराजी वादी के खातेदारी एवं पुश्तैनी कब्जा काश्त की हो तथा ना ही कोई ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद है जिससे की उपरोक्त वादग्रस्त आराजी वादी की पुश्तैनी हकहकूक व कब्जाकाश्त की हो। ऐसी स्थिति में वादी उपरोक्त आराजी उनकी पुश्तैनी हक–हकूक व कब्जा काश्त की होना साबित करने में पूर्णतया असफल रहने से तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>**तनकी संख्या 02**</u> :– उक्त तनकी को सिद्व करने का जिम्मा वादी पर होने से इस संबंध में वादी द्वारा बताया कि उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त [illegible] इस [illegible] में न्यायालय का यह मत है कि वादी अपने पुश्तैनी हकहकूक व खातेदारी होना [illegible] में असफल रहा है जिससे वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त हो ऐसी सूरत में कब्जे काश्त के अभाव में वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं होने से उक्त त[illegible] वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>**तनकी संख्या :– 03**</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादी पर होने से मौजा बावरला की वादग्रस्त आराजी के संबंध प्रतिवादी संख्या 02 के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण को कानूनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:01:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपा[illegible]स्टेट
(फास्टट्रेक) [illegible]

किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष चेलेन्ज न कर हस्तगत वाद के जरिये उक्त इन्द्राज को अपास्त करने की इस्तदुआ चाहते है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे होने से तनकी संख्या 3 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 04</u> :– उक्त तनकी को सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी पर होने से प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में अपने जवाब में बताया कि पुराने खसरा संख्या 325 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा से सृजित हुआ जिसका नियमानुसार अवाप्ति बाद नामान्तरकरण संख्या 134 के नियमानुसार स्वीकृति बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज की गई बाद नामान्तरकरण स्वीकृति के ही सार्वजनिक निर्माण विभाग का ही पजेशन है अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्व तथा प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

:– आदेश :–

परिणामस्वरूपः वादी का वाद वादी अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) ★ जिला जालोर ★

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक सांचौर, जिला–जालोर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक **13.01.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक सांचौर, जिला–जालोर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) ★ जिला जालोर ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:01:52 IST
Reason: SelfAttested